24/06/19 वकील उभयपक्ष उप. | अपीलांट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/5 के निवेदन किया कि अपीलांटगण एवं रैस्पोडेन्टगण के मध्य राजीनामा हो चुका है। अत: उक्त राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची 'अ' व 'आ' के अनुसार अपील का निस्तारण करते हुये अंतिम डिक्री पारित फरमावे।

अपीलांट एवं रैस्पोडेन्ट संख्या 1/1 लगायत 1/5 द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि राजीनामे के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसूची 'अ' व 'आ' को ध्यान में रखते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों की पालना करते हुए नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उक्त राजीनामे की प्रति अधीनस्थ न्यायालय री पत्रावली के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 4/07/2019 को पेश हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली